

कार्यालय जिला एव सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छ0ग0)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक क/एक-11-1/2017

राजनांदगांव दिनांक 02 जनवरी, 2024

मैं, आलोक कुमार, जिला न्यायाधीश राजनांदगांव, छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 21(3) एवं (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति अथवा अवकाश तथा स्थानांतरण पर प्रस्थान करने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक व्यवहार प्रकरणों का कार्य संपादित किये जाने के संबंध में तथा माननीय रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक 14754 दिनांक 08.11.2023 एवं माननीय रजिस्ट्री का शुद्धिपत्र क्रमांक 15250 दिनांक 23.11.2023 में दिये गये दिशा निर्देश "**Apart form urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader**" के अंतर्गत इस कार्यालय के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने वाले अधिकारी/लिंक अधिकारी का नाम	
1	2	3	4
1	जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव
2	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव
3	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश राजनांदगांव	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव
4	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव
5	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश, (एट्रो)/अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव
6	अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), राजनांदगांव	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश राजनांदगांव
7	अपर जिला न्यायाधीश, खैरागढ़	अपर जिला न्यायाधीश, डोंगरगढ़	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव

21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी स्थान अम्बागढ़ चौकी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश,	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, राजनांदगांव.
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खैरागढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छुईखदान
23	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खैरागढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छुईखदान
24	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छुईखदान	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खैरागढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई स्थान खैरागढ़

- नोट :- 1. जिला मुख्यालय राजनांदगांव में पदस्थ न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जावे कि ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश लेने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिला मुख्यालय राजनांदगांव में कम से कम एक अपर जिला न्यायाधीश व एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्यरत् रहें ताकि आवश्यक कार्य सम्पादन किया जा सके ।
2. लिंक अधिकारियों की अनुपस्थिति के दौरान उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा ।

Alok Kumar
(आलोक कुमार)
जिला न्यायाधीश
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
02/01/2024



कार्यालय जिला एव सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छ0ग0)

:: विविध आदेश ::

क्रमांक क/एक-11-1/2017

राजनांदगांव दिनांक 02 जनवरी, 2024

मैं आलोक कुमार, सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव इस कार्यालय के पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित करता हूँ कि पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति अथवा अवकाश तथा स्थानांतरण पर प्रस्थान करने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक प्रकरणों का कार्य सम्पादित किये जाने बाबत पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त कर तथा माननीय रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमांक 14754 दिनांक 08.11.2023 एवं माननीय रजिस्ट्री का शुद्धिपत्र क्रमांक 15250 दिनांक 23.11.2023 में दिये गये दिशा निर्देश "Apart form urgent cases and cases in which witnesses have come, all Civil and Criminal Cases of the Court will be taken by the link Judicial Officer and will be fixed for hearing/for the purpose for which it is already listed without fail. if for any reason it is not possible for the link Judicial Officer to hear the case, it will be adjourned not later than three days from the date of joining of the Judicial Officer considering the judicial diary of that Court and in no case it will be adjourned by the reader" के अंतर्गत पूर्व के समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने वाले अधिकारी/लिंक अधिकारी का नाम	
1	सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) राजनांदगांव
2	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव	सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
3	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) राजनांदगांव
4	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव
5	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
6	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.) राजनांदगांव	अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) राजनांदगांव	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) राजनांदगांव
7	अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़	अपर सत्र न्यायाधीश, डोंगरगढ़	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव

//2//

8	अपर सत्र न्यायाधीश, डोंगरगढ़	अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव
---	---------------------------------	--------------------------------	--

नोट :- लिंक अधिकारियों की अनुपस्थिति के दौरान उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा ।

Alok Kumar
(आलोक कुमार)
सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
02/01/2024